

रुखा


दिनांक आज्ञा या कार्यवाही


आज्ञा विवरण रूप से

विशेष विवरण

20/1/25

पत्रावली पेश हुयी वकील पार्सी  
 उप. वादी ने अपना वास Not.  
 Press में खारिज किया जा चुका  
 है इसलिए अब T.I. प्रपत्र का  
 कोई कौचिल्ल शेष नहीं रह पाया  
 है इसलिए T.I. प्रपत्र खारिज किया  
 जाता है। पत्रावली जमान शुभार  
 होकर दर्ज नम्बर से भ्रम हो  
 आदेश खुले अदालत में सुनाया  
 गया।

Notary  


  
 उपखण्ड अधिकारी  
 साँभर लेक

